संख्याः– /XXIX-2/2025/E-22131

प्रेषक,

अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–02 देहरादून, दिनांकः नवम्बर, 2025

विषयः– ग्रीष्मऋतु में पेयजल की वैकल्पिक व्यवथा हेतु टैंकर/खच्चर/जनरेटर के संचालन हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–475/नियोजन अनुभाग/धनावंटन प्रस्ताव/15, दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 माह जनवरी, 2025 से माह अगस्त, 2025 तक व्यय की गयी धनराशि ₹ 155.80 लाख (₹ एक करोड़ पचपन लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।
(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।
(iii) निर्गत की जा रही धनराशि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही सम्बन्धित कार्यों हेतु किश्तों में आहरित एवं व्यय की जाय।
(iv) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।
(v) व्यय करने से पूर्व उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक–2215–जल पूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल–12–ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था टैंकर/खच्चर/जनरेटर–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन आई०डी० संलग्न से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–I-287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)2025, दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– I-287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1) 2025, दिनांक 31.03.2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by Apurva Pandey
Date: 17-11-2025 22:08:16

भवदीया,

(अपूर्वा पाण्डेय)
अपर सचिव

संख्याः– (1)/XXIX-2/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 18-11-2025 11:38:41

(डी०एम०एस० राणा)
संयुक्त सचिव